

एक नजर

वीओआइ के नए शाखा प्रबंध राहुल अरोरा ने संभाला पदभार
नेपानगर: शनवार ब्रांच में फेडिट मैनेजर राहुल अरोरा की नेपानगर बैंक आफ इंडिया में प्रबंधक के रूप में नियुक्ति हुई है।
शुक्रवार को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। नवगत शाखा प्रबंधक का लगजाराम मीना, आयुष माली, दुगलद प्रताप, प्रेमलता विनोद, राजेश गोपाल, ध्रुव गोगिया ने शाल-श्रीफल से सम्मान किया। इसके अलावा अमर कुमार का डामियाखेडा स्थानांतरण हुआ है। उन्हें भी विदाई दी गई।

राजपुर पुलिस ने किया डंपर लूट के मामले का खुलासा

बड़वानी: जिले के राजपुर में बालू रेत भरे डंपर के साथ आधी रात को हुई लूट मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। बड़वानी से बालू रेत भरकर निकले डंपर को 25 वर्षीय अंकित पुत्र भारत राठौर, 20 वर्षीय राजा पुत्र कन्हैयालाल विश्वकर्मा दोनों निवासी रणगांव रोड और 23 वर्षीय अश्विन पिता प्रदीप सोलंकी निवासी राजपुर ने राजपुर के समीप स्पीड ब्रेकर पर गति धीरे होने पर बाइक अड़कर रोका और डिवकी में रखे रुपये लूट लिए।

ट्रेचिंग ग्राउंड की बायो माइनिंग अटकी तो वार्डों में डंप हो रहा कचरा

लापरवाही • बद्बू से आसपास रहने वालों को हो रही परेशानी, नगर निगम अधिकारी भी नहीं दे रहे ध्यान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: शहर से रोजाना निकलने वाले करीब नब्बे टन कचरे को बीते कई साल से नगर निगम बोहरड़ा में बनाए गए ट्रेचिंग ग्राउंड में एकत्र कर रहा था, लेकिन इस कचरे को अलग कर देरों को समाप्त करने की दिशा में काम नहीं किया गया। जिसके चलते ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ तैयार होने के साथ ही अब वहां और कचरा रखने की जगह ही नहीं बची है। इसका दुष्परिणाम यह है कि कचरा वाहन चालक एकत्र कचरे को शहर के अंदर ही विभिन्न स्थानों पर डंप कर रहे हैं। इससे आने वाली बद्बू से आसपास के रहवासी परेशान हो रहे हैं। सड़कों के किनारे डाला गया यही कचरा मवेशियों और हवा के कारण सड़कों पर भी आ रहा है। जिससे राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके अब तक नगर निगम प्रशासन ने इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं खोजा है। ज्ञात हो कि शहर की आबादी तीन लाख के



बोहरड़ा के ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो माइनिंग नहीं होने से बने कचरे के पहाड़। • नईदुनिया

आसपास पहुंच रही है। आने वाले समय में कचरे की मात्रा और बढ़ेगी। ट्रेचिंग ग्राउंड की बायो माइनिंग करा इसे जल्द खाली नहीं कराया गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
भोपाल में अटकी टेंडर प्रक्रिया: नगर निगम प्रशासन ने सितंबर 2022 में हो कि शहर की आबादी तीन लाख के

हजारों टन कचरे को बायो माइनिंग के जरिए समाप्त करने के लिए सरकार को 17 करोड़ की डीपीआर भेजी थी। निगमयुक्त संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक बायो माइनिंग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद इसके लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया भोपाल

स्तर पर लंबित थी। बाद में चुनाव अचर संहिता लगने के कारण इसका निराकरण अटक गया। उम्मीद है कि अचर संहिता समाप्त होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संबंधित टेकेंडर बायो माइनिंग का काम शुरू कर देगा। काम शुरू होने में चार माह लगने का अनुमान है।



सिंधीपुरा गेट के पास सड़क किनारे सफाई कर्मियों द्वारा डाला गया कचरा। • नईदुनिया

आधुनिक सालिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट भी लगेगा

बायो माइनिंग के तहत प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। जैविक कचरे से खाद तैयार की जाएगी और शेष कचरे का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। जिससे ट्रेचिंग ग्राउंड पूरा खाली हो जाएगा। इसके बाद वहां आधुनिक सालिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम की संयुक्त

भागीदारी से इसका निर्माण होगा। इस प्लांट में रोजाना निकलने वाले कचरे को अलग-अलग किया जाएगा। वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउंड में तीन तरह के कचरे को अलग करने के लिए छोटा प्लांट स्थापित है, लेकिन यह नियमित काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहां पर एमआरएफ सेंटर स्थापित करने की तैयारी भी की गई है।

अमृत सरोवर का निर्माण हुए दो साल बीते, नहीं किया भुगतान



बाकड़ी के नवाइ ढाना में बनाया गया तालाब। • नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, नेपानगर: ग्राम पंचायत बाकड़ी के नवाइ ढाना में दो साल पहले बनाए गए अमृत सरोवर के लिए मिट्टी का परिवहन करने वाले को अब तक पंचायत ने भुगतान नहीं किया है। इसकी शिकायत कैलाश मोरे ने जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर और मुख्यमंत्री से की है।
कैलाश मोरे ने बताया कि तालाब के 120 ट्राली मिट्टी का परिवहन किया गया था। चार सौ रुपये प्रति ट्राली के मान से 48 हजार रुपये होता है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच लगातार उसे भुगतान का आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक राशि नहीं दी है। उसने आरोप लगाया कि राशि की मांग करने

पर सरपंच, सचिव अभद्र व्यवहार भी करते हैं। अब सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई है। कैलाश मोरे ने मामले में अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई करते हुए शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।

यह काम पूर्व सचिव एकनाथ पाटिल के कार्यकाल का है। मेरे पास आठ माह पूर्व ही चार्ज आया है। धमकाने सहित अन्य आरोप बेबुनियाद हैं। झूठी शिकायत की जा रही है।
-जितेंद्र तायड़, प्रभारी सचिव।

पंडित हरिकृष्ण मुखिया ने बताया-पाप व पुण्य कर्म का महत्व

द्रोपदी का चीरहरण होते हुए चुपचाप देखते रहे इसलिए बाणों की शैया पर सोए भीष्म पितामह



कथा शुरू करने से पूर्व श्रीमद भागवत ग्रंथ के आगे शीश नवाते भागवतार्थ हरिकृष्ण मुखिया। • नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: लालबाग मार्ग में शुक्रवार से शुरू हुई संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक हरिकृष्ण मुखिया ने महाभारत की कथा का वर्णन करते हुए पाप और पुण्य कर्म का महत्व बताया।

हरिकृष्ण मुखिया ने कहा-बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भागवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है, जिसकी इस रूप

में मुझे सजा मिल रही है। प्रभु ने कहा कि सर्व शक्तिमान होते हुए भी आप द्रोपदी की लाज बचाने आगे नहीं आए। चुपचाप रह कर द्रोपदी का चीरहरण होते हुए देखते रहे। इसलिए आपको यह सजा भुगतनी पड़ रही है। मनुष्य के कर्म ही पाप और पुण्य होते हैं।
पंडित हरिकृष्ण मुखिया ने कहा-जैसे कर्म हम करते हैं, प्रभु वैसा फल देते हैं। उन्होंने कहा कि बिना अस्त्र-शस्त्र के पांडवों को प्रभु ने विजय दिलावा दी। वे

प्रेम के भूखे होते हैं। यही वजह थी कि दुष्कृत्यों में यदि आप अब भ्रमण पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ट्रेन में अपनी बर्थ कन्फर्म जरूर करा लें। क्योंकि इन दिनों लगभग सभी ट्रेनों में अगले दस से पंद्रह दिन तक स्लीपर कोच में कोई बर्थ उपलब्ध नहीं है। बुरहानपुर स्टेशन में ठहराव वाली बीस जोड़ी ट्रेनों यात्रियों से खचाखच भरी हुई देखी जा रही हैं।
स्थिति यह है कि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कोच के फर्श पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ रही है। इसके बावजूद अब तक रेलवे ने बुरहानपुर में किसी समर स्पेशल ट्रेन को ठहराव नहीं दिया है। जिसके चलते बुरहानपुर स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का

तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में रखी भेड़, दो दिन से नहीं मिल रही मूवमेंट



नईदुनिया न्यूज, नेपानगर: ग्राम पलासुर के धार नदी क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। आसपास के खेतों में तेंदुए के फगमार्क मिल रहे हैं। जिससे खेत में काम करने वाले मजदूर जाने से डर रहे हैं। जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वन विभाग ने बुधवार को खेत में पिंजरा लगाया था। भोपाल से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को इसमें भेड़ रखी गई थी, लेकिन दो दिन

से तेंदुए का मूवमेंट पता नहीं चल रहा है। जानकारी के अनुसार 13 दिन से क्षेत्र में तेंदुआ घूम रहा है। अब तक दो भेड़ और पांच श्वानों का शिकार कर चुका है। खेतों के आसपास किसानों और मजदूरों ने भी तेंदुए को देखा है। वन विभाग द्वारा मंजूर पहलवान के खेत में पिंजरा लगाया गया है। रेंजर पुषेंद्र सिंह जाटीन ने बताया कि तेंदुए के रेस्क्यू के लिए भोपाल पत्र लिखा गया था। वहां से पिंजरे में शिकार रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने तेंदुए के पकड़े जाने तक क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

हज यात्रियों को मंजाइंटिस और इन्फ्लूएंजा के टीके लगाए



दानिश स्कूल में आयोजित शिविर में टीका लगवाता हज यात्री। • नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: इस साल बुरहानपुर जिले से 121 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। शनिवार को इन लोगों को दानिश स्कूल में आयोजित शिविर में मंजाइंटिस और इन्फ्लूएंजा के टीके लगाए गए।
मनू स्टेट हज कमेटी की ओर से जिला प्रमुख नियुक्त किए गए एडवोकेट फरीद की मौजूदगी में यह टीकाकरण कराया गया। इसके साथ ही पोलियो की दवा भी फिली गई। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान काफी भीड़ रहती है। इस दौरान किसी प्रकार की बीमारी न हो इसलिए हर साल हज कमेटी की ओर से हज यात्रियों को टीके लगवाए जाते हैं।
इस दौरान ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजित किया गया। जिसमें हज यात्रा के दौरान अदा किए जाने वाले अरकान से अवगत कराया गया। सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू हुआ जो शाम चार बजे तक चला।

संचालनालय आयुष, म.प्र.
भू-तल 'डी' विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
Office (0755) 2552931, Fax (0755) 2760225
www.ayush.mp.gov.in, Email:jdayush@mp.gov.in
क.एफ/221/शाखा 4 आयुष शाखा/24/ भोपाल, दिनांक: 16/5/2024

सूचना

प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में रिक्त व्याख्याता पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा अधिकारी पदों के विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं शेष पदों के विज्ञापन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 20.02.2024 के अनुसार व्याख्याता पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (NTET) पास करना अनिवार्य होगा।
अतः व्याख्याता पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (NTET) उत्तीर्ण करे ताकि नियमानुसार व्याख्याता पद की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके।

सोनाली पॉक्षे वावंगणकर
वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.

जी-11097/24

तीन बालिकाओं को डंपर ने रौंदा, दो की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी: जिले के पहाड़ी अंचल पाटी क्षेत्र के ग्राम अंजराड़ा में शुक्रवार दोपहर विभत्स सड़क हादसा हुआ। कपड़े सिलवाकर कर लौट रही तीन बालिकाओं को तेज रफ्तार ओवरलोड गिट्टी भरे डंपर ने रौंदा दिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे में दो बालिकाओं की मौत हो गई। एक का उपचार जारी है। जिला अस्पताल में उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष छा गया।
जानकारी के अनुसार पाटी से पूर्व ग्राम पंचायत अंजराड़ा में हनुमान मंदिर

के पास शुक्रवार दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच यह घटना होने की सूचना है। गिट्टी खदान से ओवरलोड माल भरकर तेज गति से डंपर बड़वानी की ओर आ रहा था। वहीं इस दौरान रोड किनारे पैदल जा रही तीन बालिकाओं को पीछे से डंपर ने रौंदा दिया। घटना इतनी विभत्स थी कि दो बालिकाओं ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना में 19 वर्षीय पूजा नासरिया व 14 वर्षीय गाली पिता लालसिंह की मौत हो गई। वहीं एक अन्य बालिका का गंभीर रूप से घायल अवस्था में हो गई। जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

घोटाला नौ करोड़ से अधिक का था घोटाला, 16 कर्मचारियों पर एफआइआर

तीन आरोपितों के घर पहुंची पुलिस, ताला लटका मिला

नईदुनिया न्यूज, नेपानगर: नागरिक सहकारी बैंक में हुए नौ करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले में फरार चल रहे आरोपितों की पुलिस फिर तलाश शुरू की है। शनिवार को पुलिस तीन आरोपित के घर पहुंची, लेकिन सभी जगह ताले लटके मिले। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर खाली हाथ लौट गई।
जानकारी के अनुसार इस घोटाले में बैंक के 16 कर्मचारियों को आरोपित बना उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। एक आरोपित सुभाष यादव की मृत्यु हो चुकी है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि नौ आरोपित अब भी फरार हैं।
जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एफआइ आरसी सावले ने बताया कि बैंक घोटाले में लिप्त रहे पांच आरोपितों की



नागरिक सहकारी बैंक का भवन। तलाश की जा रही है। इनमें नेपानगर के शैलेश मांडले, विजय प्रकाश शर्मा, राजेश जाधव, सुभाष यादव और शाहपुर के योगेश महाजन शामिल हैं। पुलिस ने शैलेश, विजय और राजेश के घर पहुंच कर पड़ताल की, लेकिन कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
छह सौ से ज्यादा लोगों का पैसा जमा: ज्ञात हो कि अधिक ब्याज की स्कीम चला कर बैंक में 600 से अधिक लोगों से राशि जमा कराई गई थी। कई

महीने तक उन्हें स्कीम के तहत ब्याज भी दिया गया, लेकिन बाद में संचालक मंडल एवं कर्मचारियों ने बैंक की स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए ब्याज की राशि आंशिक रूप से घटना शुरू कर दी। संचालक मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों द्वारा राशि में हेराफेरी करते हुए करोड़ों रुपये का घोटाला कर दिया गया। मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा तो पुलिस ने जांच कर प्रकरण दर्ज कर लिया। खाताधारक अपने रुपये पाने के लिए अब भी चक्कर काट रहे हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India क्षेत्रीय कार्यालय: 6/3, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
फोन नं.: 0731-2541688

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का कच्चा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र की राशि एवं दिनांक	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) विड वृद्धि राशि (₹)
मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) इनके कानूनी उत्तराधिकारी: 1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक)	1. प्लॉट नं. 19 (पट्टे पर दिया) जिसका टिन शेड क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (लम्बाई 50x40) एवं जिसका शेड एवं गार्डन फर्शी 1040 वर्गफीट (लम्बाई चौड़ाई 52x20) कुल प्लॉट का क्षेत्रफल 22000 वर्गफीट (2044.60 वर्गमीटर), संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), मालिक: मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) (इनके कानूनी उत्तराधिकारी): 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), चतु:सीमा: उत्तर: 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: 20 फीट बैंक लाईन, पूर्व: 60 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 18	2,57,03,756 + ब्याज एवं अन्य खर्च	80,85,000 8,09,000 50,000
जमानतदार: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता श्री कैलाश चन्द अग्रवाल 2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल शाखा: खण्डवा मोबाईल: 83700 12036	2. संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), खसरा नं. 80/5, परिवर्तित शीट नं. 02, प्लॉट नं. 55 पर स्थित जिसका कुल क्षेत्रफल 20021 वर्गफीट, मालिक: श्री अतुल कुमार अग्रवाल एवं स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल (इनके कानूनी उत्तराधिकारी): 2.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक) दोनों स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल के पुत्र, चतु:सीमा: उत्तर: सरकारी भूमि एवं कच्चा रास्ता, दक्षिण: खसरा नं. 80/5 की शेष भूमि, पूर्व: खसरा नं. 80/1 एवं खसरा नं. 80/2 की भूमि, पश्चिम: खसरा नं. 80/4 की भूमि एवं सरकारी भूमि		86,16,000 8,62,000 50,000
	3. भैरव तालाब, वार्ड नं. 30 जिसको पदम नगर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.) परिवर्तित शीट नं. 22, प्लॉट नं. 21 पर स्थित रहवासी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल, चतु:सीमा: उत्तर: किर्ती बाई का मकान, दक्षिण: चंद्रादेवी का मकान, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: गली		46,98,000 4,70,000 50,000

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 10.06.2024, समय: प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 03.06.2024 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय: 07.06.2024, दोपहर 4 बजे तक,
ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं.: 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रतिभूति लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता में, एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <https://www.msctcecommerce.com/auktionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419 से संपर्क कर सकते हैं। संपत्ति क्रं. 1 लीज होल्ड पर है, इस संपत्ति का राज्य सरकार का जो भी व्यय होगा वह सफल बोलीकर्ता को वहन करना होगा। बैंक उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सिक्यूरिटीआईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना
दिनांक: 19.05.2024, स्थान: इन्दौर प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

डॉ. वी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)- 453441 जिला : इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 07324-274377
क्रमांक : ब्राउस/शैक्ष./2024/218 दिनांक : 17.05.2024

प्रवेश विज्ञापन 2024-25

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01.05.2024 अंतिम तिथि 30.06.2024
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.brauss.mp.gov.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वेबसाइट के माध्यम से सीधे Online आवेदन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
म.प्र. माध्यम/114626/2024 कुलसचिव

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस
कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल
URL: <https://mpphsc.mp.gov.in>, PHONE: 0755-2578915
दिनांक : 17.05.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित निविदाएं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वेबसाइट एवं पोर्टल पर दिनांक 17.05.2024 से 30 दिवस में जारी की जावेगी:-
Tender (s) for

- 1) Tender(s) for Single Energy Linac for Cancer Treatment.
- 2) Tender(s) for CT Simulator.
- 3) Tender(s) for Various Equipment.
- 4) Tender(s) for Various Drugs.
- 5) Tender(s) for Consumables.

सभी Prospective bidders कार्यालय की वेबसाइट "<https://mpphsc.mp.gov.in>" एवं पोर्टल www.mptenders.gov.in" पर विजित कर निविदा में भाग लेंगे।
म.प्र. माध्यम/114625/2024 मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी-II)

ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का कच्चा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र की राशि एवं दिनांक	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) विड वृद्धि राशि (₹)
मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) इनके कानूनी उत्तराधिकारी: 1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक)	1. प्लॉट नं. 19 (पट्टे पर दिया) जिसका टिन शेड क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (लम्बाई 50x40) एवं जिसका शेड एवं गार्डन फर्शी 1040 वर्गफीट (लम्बाई चौड़ाई 52x20) कुल प्लॉट का क्षेत्रफल 22000 वर्गफीट (2044.60 वर्गमीटर), संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), मालिक: मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) (इनके कानूनी उत्तराधिकारी): 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), चतु:सीमा: उत्तर: 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: 20 फीट बैंक लाईन, पूर्व: 60 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 18	2,57,03,756 + ब्याज एवं अन्य खर्च	80,85,000 8,09,000 50,000
जमानतदार: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता श्री कैलाश चन्द अग्रवाल 2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल शाखा: खण्डवा मोबाईल: 83700 12036	2. संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), खसरा नं. 80/5, परिवर्तित शीट नं. 02, प्लॉट नं. 55 पर स्थित जिसका कुल क्षेत्रफल 20021 वर्गफीट, मालिक: श्री अतुल कुमार अग्रवाल एवं स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल (इनके कानूनी उत्तराधिकारी): 2.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 2.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक) दोनों स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल के पुत्र, चतु:सीमा: उत्तर: सरकारी भूमि एवं कच्चा रास्ता, दक्षिण: खसरा नं. 80/5 की शेष भूमि, पूर्व: खसरा नं. 80/1 एवं खसरा नं. 80/2 की भूमि, पश्चिम: खसरा नं. 80/4 की भूमि एवं सरकारी भूमि		86,16,000 8,62,000 50,000
	3. भैरव तालाब, वार्ड नं. 30 जिसको पदम नगर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.) परिवर्तित शीट नं. 22, प्लॉट नं. 21 पर स्थित रहवासी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल, चतु:सीमा: उत्तर: किर्ती बाई का मकान, दक्षिण: चंद्रादेवी का मकान, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: गली		46,98,000 4,70,000 50,000

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 10.06.2024, समय: प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 03.06.2024 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय: 07.06